अध्याय–I

विहंगावलोकन

अध्याय–I

विहंगावलोकन

यह अध्याय वित्त लेखे की लेखापरीक्षा के आधार पर राजकोषीय संग्रहों में प्रमुख परिवर्तनों का विश्लेषण और 31 मार्च 2024 तक बिहार सरकार की राजकोषीय स्थिति का आकलन करता है।

1.1 राज्य की रूपरेखा

बिहार पूरी तरह से भूमि से घिरा हुआ राज्य है। यह पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के बीच स्थित है। यह उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड से घिरा हुआ है।

यह भौगोलिक आकार (94,163 वर्ग किमी) के मामले में भारत का बारहवाँ सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या (12.86 करोड़) के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार राज्य में 38 जिले हैं। राज्य का जनसंख्या घनत्व 1,366 प्रति वर्ग किमी है, जो राष्ट्रीय औसत (426 प्रति वर्ग किमी) से अधिक है। राज्य की साक्षरता दर 61.8 प्रतिशत (2011 की जनगणना के अनुसार) है। अखिल भारतीय औसत ***(परिशिष्ट 1.1)*** की तुलना में इसका गरीबी स्तर सबसे अधिक है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय (₹ 66,828) पड़ोसी राज्यों की तुलना में जैसे झारखंड (₹ 1,15,960), पश्चिम बंगाल (₹ 1,71,184) और उत्तर प्रदेश (₹ 1,07,468) से बहुत कम है। वर्ष 2023–2024 में जी0एस0डी0पी0 की वर्त्तमान मूल्यों पर (एम0ओ0एस0पी0आई0 के अनुसार) तेरहवाँ सबसे बडा राज्य है।

1.1.1 राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) एक निश्चित अवधि में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह समय की अवधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाता है।

अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए जी0एस0डी0पी0 में क्षेत्रवार योगदान में परिवर्तन भी महत्वपूर्ण हैं। आर्थिक गतिविधि को आम तौर पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अनुरूप होते हैं।

वर्तमान मूल्यों (आधार वर्षः 2011–12) पर राज्य के जी0एस0डी0पी0 और भारत की जी0डी0पी0 की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियाँ **तालिका 1.1** में दर्शायी गई हैं।

तालिका 1.1: जी0डी0पी0 की तुलना में जी0एस0डी0पी0 की प्रवृत्ति (वर्तमान मूल्यों पर)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
भारत					
जी0डी0पी0 (2011–12 श्रृंखला)	2,01,03,593	1,98,54,096	2,35,97,399	2,69,49,646	2,95,35,667
सकल मूल्य वर्धित (जी0वी0ए0)	1,83,81,117	1,82,10,997	2,16,35,584	2,46,59,041	2,67,62,147
विगत वर्ष की तुलना में जी0डी0पी0 की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	6.37	(–) 1.24	18.85	14.21	9.60
विगत वर्ष की तुलना में जी0वी0ए0 की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	7.02	(–) 0.93	18.81	13.97	8.53
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (₹ में)	1,32,341	1,27,244	1,50,906	1,69,496	1,84,205
बिहार					
जी0एस0डी0पी0 (2011–12 श्रृंखला)	5,81,855	5,67,814	6,47,394	7,46,417	8,54,429
सकल राज्य मूल्य वर्धित (जी0एस0वी0ए0)	5,59,805	5,52,327	6,41,107	7,42,817	8,49,750
विगत वर्ष की तुलना में जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.20	(–) 2.41	14.02	15.30	14.47

वर्ष	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
विगत वर्ष की तुलना में जी0एस0वी0ए0 की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.69	(–) 1.34	16.07	15.86	14.40
जी0एस0डी0पी0 का जी0डी0पी0 से प्रतिशत	2.89	2.86	2.74	2.77	2.89
प्रति व्यक्ति जी0एस0डी0पी0 (₹ में)	48,263	46,412	52,144	59,244	66,828

(स्रोतः सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार)
जी0वी0ए0–सकल मूल्य वर्धित, जी0एस0वी0ए0–सकल राज्य मूल्य वर्धित

वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2022–23 की अवधि के दौरान वर्तमान मूल्यों पर जी0डी0पी0 और जी0एस0डी0पी0 को जी0वी0ए0/जी0एस0वी0ए0 में संशोधन के आधार पर संशोधित किया गया था। वर्ष 2020–21 से 2022–23 के लिए जी0डी0पी0/जी0एस0डी0पी0 के संदर्भ में विभिन्न मापदंडों के प्रतिशत अनुपात/उत्प्लावकता को तदनुसार संशोधित किया गया है।

वर्ष 2023–24 के दौरान, प्रति व्यक्ति जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर (12.80 प्रतिशत) प्रति व्यक्ति जी0डी0पी0 वृद्धि दर (8.68 प्रतिशत) से अधिक थी। वर्ष 2019–20 से 2023–24 के दौरान, प्रति व्यक्ति जी0एस0डी0पी0 में 38.47 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन यह प्रति व्यक्ति जी0डी0पी0 की वृद्धि 39.19 प्रतिशत से कम थी।

सकल मूल्य वर्धित (जी0वी0ए0) का उपयोग भारत सरकार द्वारा आर्थिक विश्लेषण के लिए किया जा रहा है क्योंकि जी0वी0ए0 को जी0डी0पी0 की तुलना में आर्थिक विकास का बेहतर संकेतक माना जाता है क्योंकि यह करों और सब्सिडी के प्रभाव को नजरअंदाज करता है। जी0डी0पी0 जिसमें निजी उपभोग व्यय, सरकारी उपभोग व्यय और सकल निश्चित पूँजी निर्माण या निवेश पर व्यय सहित अर्थव्यवस्था में किए गए विभिन्न खर्चों का योग भी हो सकता है, जो अर्थव्यवस्था में माँग की स्थिति को अनिवार्य रूप से दर्शाता है। इनके परिणामस्वरूप जी0डी0पी0, वास्तविक उत्पादन की स्थिति से भिन्न हो सकती है। इसलिए एक नीति निर्माता के दृष्टिकोण से बेहतर विश्लेषण और नीतिगत हस्तक्षेप करने हेतु जी0वी0ए0 और जी0एस0वी0ए0 आँकड़े की तुलना करना महत्वपूर्ण है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2023–24 की अवधि के लिए जी0एस0डी0पी0 और जी0एस0वी0ए0 की प्रवृत्ति **चार्ट 1.1** में बताई गई है।

चार्ट 1.1: जी0एस0डी0पी0 बनाम जी0एस0वी0ए0 की वृद्धि दर (2019–20 से 2023–24)
(प्रतिशत में)

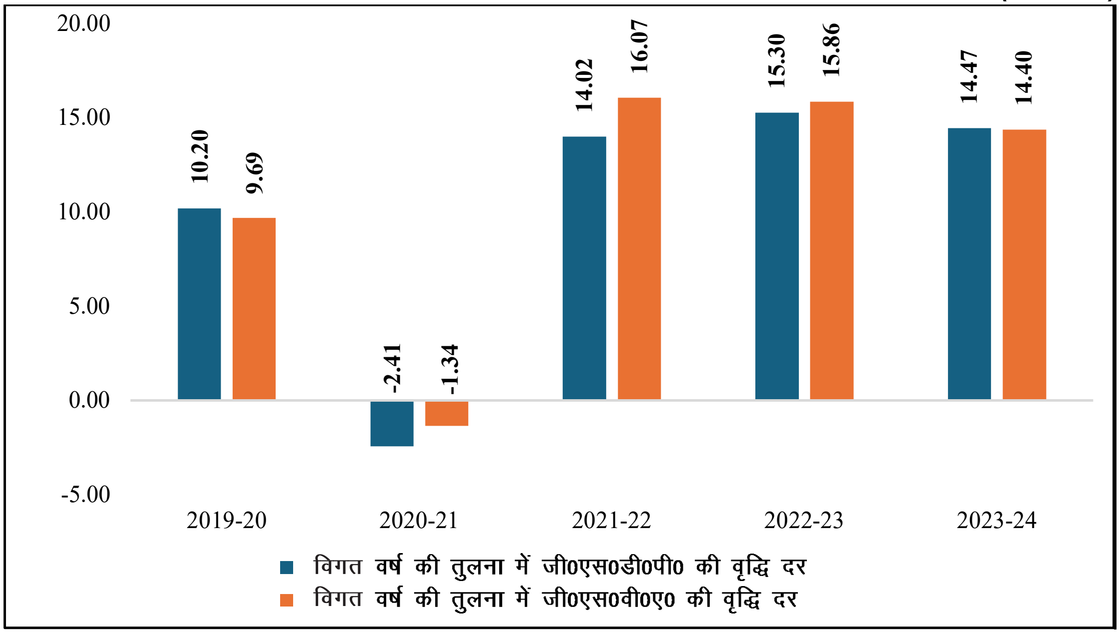

(स्रोतः एम0ओ0एस0पी0आई0, भारत सरकार)

जैसा कि **चार्ट 1.1** से देखा जा सकता है:

i कोविड–19 महामारी के प्रभाव के कारण, 2020–21 में जी0एस0डी0पी0 और जी0एस0वी0ए0 दोनों की वृद्धि दर नकारात्मक थी।

ii वर्ष 2021–22 के दौरान, जी0एस0वी0ए0 ने उच्चतम वृद्धि दर (द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में उच्च वृद्धि दर के कारण) दर्ज की।

iii वर्ष 2022–23 के दौरान जी0एस0डी0पी0 ने उच्चतम वृद्धि दर दर्ज की।

iv वर्ष 2023–24 में जी0एस0वी0ए0 की वृद्धि दर 1.46 प्रतिशत अंक से (मुख्य रूप से द्वितीयक क्षेत्र में धीमी वृद्धि दर के कारण) धीमी हो गई। इस वर्ष के दौरान, जी0एस0डी0पी0 वृद्धि दर 0.83 प्रतिशत अंक (विगत वर्ष की तुलना में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि दर के कारण) से थोड़ी कम थी, हालांकि, इसकी वृद्धि दर 2023–24 के दौरान जी0डी0पी0 की वृद्धि दर से बहुत अधिक थी।

1.1.2 क्षेत्रवार संरचना

आर्थिक गतिविधियों को आम तौर पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो क्रमशः कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अनुरूप होते है।

प्राथमिक क्षेत्र में प्राथमिक प्रकृति की अन्य आर्थिक गतिविधियों के साथ–साथ मुख्य रूप से कृषि गतिविधियाँ शामिल हैं, जैसे–वानिकी, पशुपालन, मत्स्यपालन और खनन। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण, निर्माण और बुनियादी ढाँचा, विद्युत, गैस की आपूर्ति आदि शामिल है। तृतीयक क्षेत्र में सेवा संबंधी सभी कार्यकलाप शामिल हैं। 2023–24 के दौरान जी0डी0पी0 और जी0एस0डी0पी0 में क्षेत्रवार योगदान को क्रमशः **चार्ट 1.2** और **1.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.2: क्षेत्र–वार जी0डी0पी0

(प्रतिशत में)

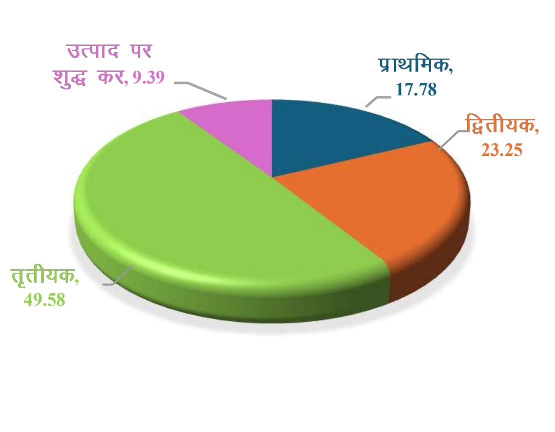

चार्ट 1.3: क्षेत्र–वार जी0एस0डी0पी0

(प्रतिशत में)

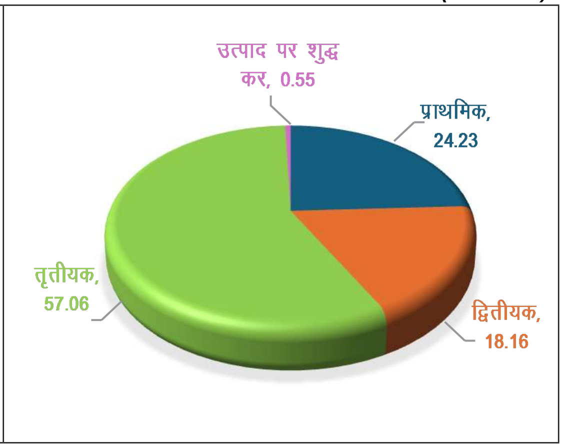

(स्रोतः 01.08.2024 तक एम0ओ0एस0पी0आई0, भारत सरकार के आँकड़े और बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, बिहार सरकार)

**उत्पाद पर शुद्ध कर = उत्पाद पर करों से घटाए गए उत्पाद पर सब्सिडी।*

वर्ष 2023–24 के दौरान, जी0एस0डी0पी0 में जी0डी0पी0 की तुलना में तृतीयक और प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान क्रमशः 7.48 और 6.45 प्रतिशत अंक से अधिक था। तथापि, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र (उद्योग एवं विनिर्माण) का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में इसके योगदान की तुलना में 5.09 प्रतिशत अंक से कम था। इसके अलावा, बिहार में उत्पादों पर शुद्ध कर भारत की तुलना में बहुत कम थी।

चार्ट 1.4 2019–20 से 2023–24 की अवधि के दौरान जी0एस0डी0पी0 में क्षेत्रगत विकास दर की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

चार्ट 1.4: जी0एस0डी0पी0 में क्षेत्रगत वृद्धि का प्रवृत्ति विश्लेषण

(प्रतिशत में)

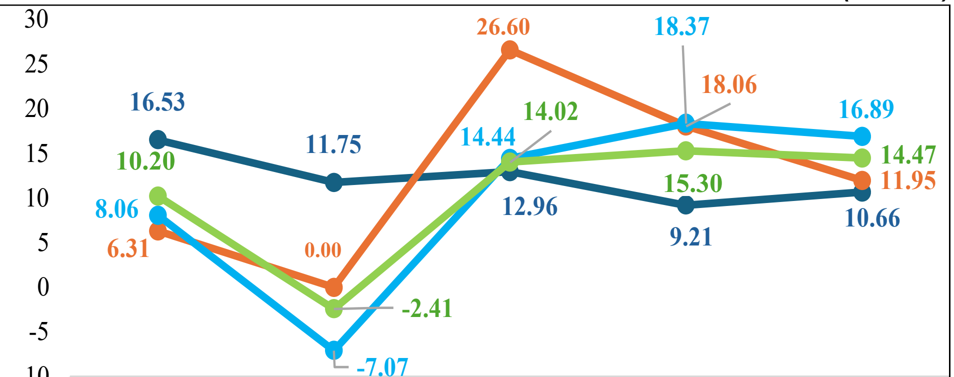

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
प्राथमिक	16.53	11.75	12.96	9.21	10.66
द्वितीयक	6.31	0.00	26.60	18.06	11.95
तृतीयक	8.06	-7.07	14.44	18.37	16.89
जी०एस०डी०पी०	10.20	-2.41	14.02	15.30	14.47

(स्रोतः एम0ओ0एस0पी0आई0, भारत सरकार)

चार्ट 1.4 वैश्विक महामारी के कारण 2020–21 में सभी क्षेत्रों में गिरावट की प्रवृत्ति को दर्शाता है। हालांकि, 2021–22 के दौरान, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों ने पर्याप्त सुधार दिखाए और विगत पाँच वर्षों के दौरान अपनी उच्चतम वृद्धि दर्ज की। 2023–24 के दौरान, फसलों (कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन के अंतर्गत) में 12.03 प्रतिशत, पशुधन में 9.28 प्रतिशत और वानिकी एवं सिल्ली निर्माण में 10.29 प्रतिशत की वृद्धि के कारण केवल प्राथमिक क्षेत्र ने 10.66 प्रतिशत की वृद्धि दर दिखाई। हालांकि, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों ने 2022–23 की तुलना में धीमी विकास दर दर्ज की।

जी0एस0डी0पी0 में क्षेत्रगत योगदान में परिवर्तन, अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं। 2019–20 एवं 2023–24 की जी0एस0डी0पी0 में क्षेत्रगत योगदान में परिवर्तन **चार्ट 1.5** में दिखाए गए हैं।

चार्ट 1.5: जी0एस0डी0पी0 में क्षेत्रगत योगदान में परिवर्तन (2019–20 और 2023–24)

(प्रतिशत में)

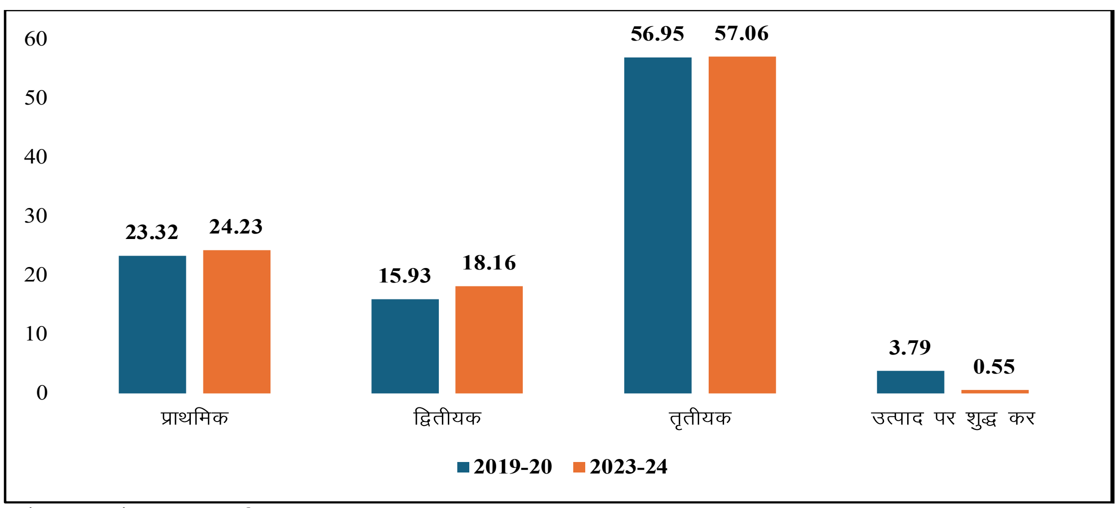

(स्रोतः एम0ओ0एस0पी0आई0, भारत सरकार)

वर्ष 2023–24 में भी, तृतीयक क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदानकर्ता बना रहा।

1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए आधार और दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसार, किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि0म0ले0प0) का प्रतिवेदन, राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाना हैं, जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेंगें। राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस0एफ0ए0आर0) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत तैयार और प्रस्तुत की जाती है।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्य करने वाले ऐसे खातों को रखने के लिए जिम्मेदार कोषागारों, कार्यालयों और विभागों द्वारा प्रदान किए गए वाउचर, चालान और प्रारंभिक और सहायक लेखो और भारतीय रिजर्व बैंक (आर0बी0आई0) से प्राप्त विवरणों से, सालाना राज्य के वित्त लेखे और विनियोग लेखे तैयार करते है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा की जाती है।

राज्य के वित्त लेखे और विनियोग लेखे इस प्रतिवेदन के मुख्य आँकड़ों का गठन करते हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. राज्य का बजटः अनुमानों के साथ साथ राजकोषीय मापदंडों और आवंटन की प्राथमिकताओं का आकलन करने के साथ–साथ इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता और प्रासंगिक नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन का मूल्यांकन;

ii. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के परिणाम;

iii. विभागों / प्राधिकारियों और कोषागारों के अन्य आँकड़ें (लेखांकन के साथ–साथ एम0आई0एस0);

iv. जी0एस0डी0पी0 आँकड़ें और राज्य से संबंधित अन्य सांख्यिकी आँकड़े; और

v. भारत के नि0म0ले0प0 के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन;

चौदहवें और पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त आयोग, छठे राज्य वित्त आयोग, बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (बी0एफ0आर0बी0एम0) अधिनियम, 2006, भारत सरकार की सर्वोत्तम प्रथाओं और दिशानिर्देशों की अनुशंसा के आलोक में इसका विश्लेषण किया गया है। 07.08.2024 को आयोजित प्रवेश सम्मेलन के दौरान बिहार सरकार के वित्त विभाग के साथ विषय क्षेत्र कार्यप्रणाली, मानदंड और बाध्यता पर चर्चा की गई।

1.3 सरकारी लेखे की संरचना और बजटीय प्रक्रियाएँ

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं:

1. राज्य की समेकित निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(1))

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बॉण्ड, केन्द्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत कोश को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ आदि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम और ऋणों के पुनर्भुगतान में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त धनराशि शामिल है। इस निधि से कोई भी धन विधि के अनुसार और भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए तरीके के अलावा किसी भी धन को विनियोजित नहीं किया जा सकता है। व्यय की कुछ श्रेणियाँ (जैसे, संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण पुनर्भुगतान आदि), राज्य की समेकित निधि (भारित व्यय) पर एक प्रभार है और विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं होती हैं। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) पर विधानमंडल द्वारा मतदान किया जाता है।

2. राज्य की आकस्मिक निधि (भारत का संविधान के अनुच्छेद 267(2))

राज्य विधायिका द्वारा विधि सम्मत स्थापित यह निधि अग्रिम प्रकृति की है और इसे राज्यपाल के अधिकार में रखा गया है ताकि राज्य विधानमंडल द्वारा ऐसे व्यय के प्राधिकार को लंबित रखते हुए अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम राशि प्रदान की जा सके। इस निधि की प्रतिपूर्ति राज्य की संचित निधि से संबंधित कार्यकारी मुख्य शीर्ष पर व्यय को नामे करके की जाती है।

3. राज्य के लोक लेखे (भारत का संविधान के अनुच्छेद 266(2))

उपरोक्त के अलावा, सरकार द्वारा या सरकार की ओर से प्राप्त अन्य सभी लोक निधि जहाँ सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, लोक लेखा में जमा की जाती है। लोक लेखा में लघु बचत और भविष्य निधि, जमा (ब्याज सहित और ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधि (ब्याज सहित और ब्याज रहित), प्रेषण और उचंत शीर्ष (ये दोनों अस्थाई शीर्ष है, अंतिम लेखांकन लंबित) शामिल हैं। सरकार के पास उपलब्ध निवल नकद शेष भी लोक लेखा में शामिल होते हैं। लोक लेखा विधानमंडल के मत के अधीन नहीं है।

बजट दस्तावेज

भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष सरकार की अनुमानित प्राप्तियाँ और व्यय का एक विवरण प्रस्तुत करना एक संवैधानिक आवश्यकता है। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' मुख्य बजट दस्तावेज बनाता है। इसके अलावा, बजट में राजस्व लेखे पर व्यय को अन्य व्ययों से अलग रखना चाहिए।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर–कर राजस्व, संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा और भारत सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल होते हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे सभी व्यय शामिल होते हैं जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है। यह सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य संचालन, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान और विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदान (भले ही कुछ अनुदान संपत्ति के निर्माण के लिए हो) पर किए गए खर्चों से संबंधित होते है।

पूँजीगत प्राप्तियों में शामिल हैं:

- **ऋण प्राप्तियाँ:** बाजार ऋण, बॉण्ड, वित्तीय संस्थानों से ऋण, अर्थोपाय अग्रिम के तहत निवल लेनदेन, केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम, आदि;
- **गैर–ऋण प्राप्तियाँ:** विनिवेश से प्राप्त आय, ऋणों और अग्रिम की वसूली;

पूँजीगत व्यय में भूमि के अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण, शेयरों में निवेश और सरकार द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और अन्य पक्षों को ऋण और अग्रिम पर व्यय शामिल होते है।

वर्तमान में, सरकार के पास एक लेखा वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यकारी और आर्थिक दोनों है।

	लेन–देन की विशेषता	वर्गीकरण
सी0जी0ए0 द्वारा मुख्य और लघु शीर्ष सूची में मानकीकृत	कार्य शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि/विभाग	अनुदान के तहत मुख्य शीर्ष (4–अंकीय)
	उप कार्य	उप मुख्य शीर्ष (2 अंकीय)
	कार्यक्रम	लघु–शीर्ष (3 अंकीय)

	लेन–देन की विशेषता	वर्गीकरण
राज्यों के लिए छोड़ा गया लचीलापन	योजना	उप–शीर्ष (2 अंकीय)
	उप योजना	विस्तृत शीर्ष (2 अंकीय)
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधि	विषय–शीर्ष वेतन, लघु कार्य, आदि (2 अंकीय)

कार्यकारी वर्गीकरण के द्वारा विभाग, कार्य, योजना या कार्यक्रम और व्यय के विषय को समझा जाता है। आर्थिक वर्गीकरण इन भुगतानों को राजस्व, पूँजी, ऋण आदि के रूप में व्यवस्थित करने में मदद करता है। 4–अंकीय मुख्य शीर्षों में निहित पहले अंक के आधार पर आर्थिक वर्गीकरण का पता चलता है। उदाहरण के लिए, 0 और 1 राजस्व प्राप्तियों, 2 और 3 राजस्व व्यय आदि के लिए हैं। आर्थिक वर्गीकरण भी कुछ विषय शीर्षों की एक अंतर्निहित परिभाषा और कुछ विषय शीर्षों के वितरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, सामान्यतः "वेतन" विषय शीर्ष राजस्व व्यय है, "निर्माण" विषय शीर्ष पूँजीगत व्यय है। विषय शीर्ष बजट दस्तावेजों में विनियोग की प्राथमिक इकाई है।

सरकारी लेखे की संरचना

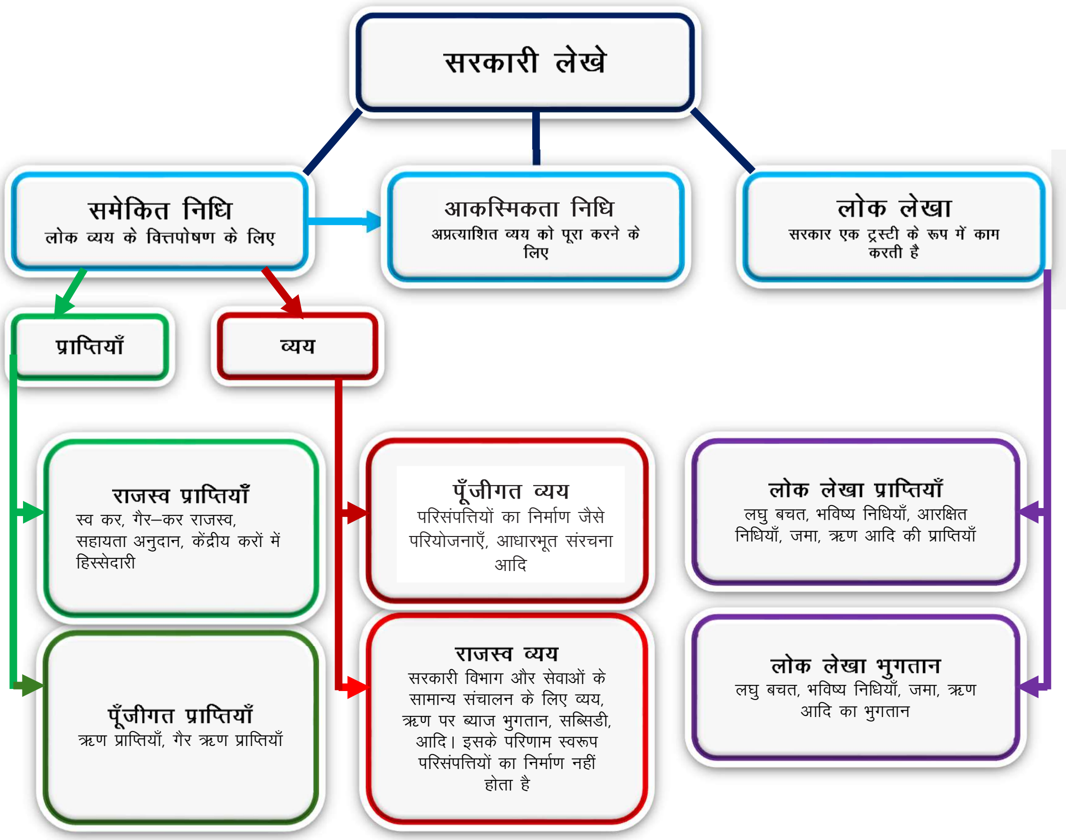

लोक ऋण एवं सार्वजनिक दायित्व

इस प्रतिवेदन में, 'लोक ऋण' को बाजार उधारी, संस्थागत ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एन0एस0एस0एफ0) को जारी विशेष प्रतिभूतियों, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण आदि को शामिल करने के लिए लिया गया है। इस उद्देश्य के लिए, मुख्य शीर्ष 6003 और 6004 – लोक ऋण को ध्यान में रखा गया है।

इसके अलावा, "सार्वजनिक दायित्व" "लघु बचत, भविष्य निधि, आदि" से संबंधित मुख्य शीर्ष 8001 से 8554 के तहत लेनदेन को शामिल करने के लिए लिया गया है, लोक लेखा के अंतर्गत "आरक्षित

निधियाँ" और "जमा एवं अग्रिम" ऐसे हैं जिनसे सरकार प्राप्त धन को चुकाने के लिए उत्तरदायी होती है या भुगतान की गई राशि की वसूली का दावा करती है। लोक लेखा के अंतर्गत "प्रेषण" और "उचंत" से संबंधित लेन–देन में कोषागारों और मुद्रा तिजोरियों के बीच नकदी के प्रेषण और विभिन्न लेखा सर्किलों के बीच हस्तांतरण जैसे लेनदेन को समायोजन शीर्षों में शामिल किया गया है।

इस प्रतिवेदन में, "सार्वजनिक दायित्व" को मुख्य शीर्ष 8001 से 8554 के तहत "लघु बचत, भविष्य निधि, आदि", "आरक्षित निधि" और "जमा और अग्रिम" के साथ–साथ प्रमुख शीर्षों 6003 और 6004 के तहत लेन–देन को शामिल करने के लिए लिया गया है।

बजटीय प्रक्रियाएँ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, राज्य के राज्यपाल, राज्य विधानमंडल के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत कराते हैं। अनुच्छेद 203 के अनुसार, राज्य विधानमंडल को अनुदानों/विनियोगों हेतु मांगों के रूप में विवरण प्रस्तुत किया जाता है और इनके अनुमोदन के बाद, अनुच्छेद 204 के तहत समेकित निधि से आवश्यक धन के विनियोजन हेतु विनियोग विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित किया जाता है।

राज्य बजट संहिता, बजट निर्माण प्रक्रिया का विवरण देती है और राज्य सरकार को अपने बजटीय अनुमान तैयार करने और इसकी व्यय गतिविधियों की निगरानी में मार्गदर्शन करती है। बजट की लेखापरीक्षा संवीक्षा के परिणाम तथा राज्य सरकार की अन्य बजटीय क्रियान्वयन का विवरण इस प्रतिवेदन के **अध्याय III** में वर्णित है।

1.3.1 वित्त का संक्षिप्त परिदृश्य

तालिका 1.2 वर्ष 2023–24 के बजट अनुमानों के साथ वास्तविक वित्तीय परिणामों तथा वर्ष 2022–23 के वास्तविक वित्तीय परिणामों का तुलनात्मक विवरण प्रदान करता है।

तालिका 1.2: वित्त का संक्षिप्त परिदृश्य

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	घटक	2022–23 (वास्तविक)	2023–24		वास्तविक का बजट अनुमान से प्रतिशतता	वास्तविक का जी0एस0डी0पी0 से प्रतिशतता
			(बजट अनुमान)	(वास्तविक)		
1	कर राजस्व	1,39,527.58	1,52,437.31	1,61,965.18	106.25	18.96
	(i) स्व–कर राजस्व	44,017.73	49,700.05	48,360.69	97.31	5.66
	(ii) संघीय करों का अंश	95,509.85	1,02,737.26	1,13,604.49	110.58	13.30
2	गैर–कर राजस्व	4,134.90	6,511.74	5,257.05	80.73	0.62
3	सहायता अनुदान और अंशदान	29,025.54	53,377.92	26,125.00	48.94	3.06
4	**राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)**	**1,72,688.02**	**2,12,326.97**	**1,93,347.23**	**91.06**	**22.63**
5	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	41.49	431.91	95.94	22.21	0.01
6	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	–	0.00	–	–
7	निवल उधारी एवं अन्य दायित्व (अ)	44,823.30	25,567.83	35,659.88	139.47	4.17

क्र0 सं0	घटक	2022–23 (वास्तविक)	2023–24		वास्तविक का बजट अनुमान से प्रतिशतता	वास्तविक का जी0एस0डी0पी0 से प्रतिशतता
			(बजट अनुमान)	(वास्तविक)		
8	**निवल पूँजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)**	**44,864.79**	**25,999.74**	**35,755.82**	**137.52**	**4.18**
9	**कुल प्राप्तियाँ (4+8)**	**2,17,552.81**	**2,38,326.71**	**2,29,103.05**	**96.13**	**26.81**
10	राजस्व व्यय (ब)	1,83,976.22	2,07,848.00	1,90,514.17	91.66	22.30
11	ब्याज भुगतान	15,183.54	18,354.44	17,605.80	95.92	2.06
12	पूँजीगत व्यय	31,519.82	29,257.31	36,453.02	124.59	4.27
13	ऋण एवं अग्रिम	2,056.77	1,221.40	2,135.86	174.87	0.25
14	**कुल व्यय (10+12+13)**	**2,17,552.81**	**2,38,326.71**	**2,29,103.05**	**96.13**	**26.81**
15	**राजस्व आधिक्य(+)/घाटा (–) (4–10)**	**(–) 11,288.20**	**4,478.97**	**2,833.06**	**63.25**	**0.33**
16	**राजकोषीय घाटा {14–(4+5+6)}**	**44,823.30**	**25,567.83**	**35,659.88**	**139.47**	**4.17**
17	**प्राथमिक घाटा (16–11)**	**29,639.76**	**7,213.39**	**18,054.08**	**250.29**	**2.11**

(स्रोतः 2023–24 के लिए बिहार सरकार के वित्त लेखे एवं बजट का सारांश 2023–24)
₹1 करोड़ का अंतर पूर्णांकन के कारण है।
(अ) उधार और अन्य देनदारियाँः निवल लोक ऋण (प्राप्तियाँ – संवितरण) + निवल आकस्मिक निधि + निवल लोक लेखा (प्राप्तियाँ – संवितरण) + निवल आरंभिक और अंतिम नकद शेष।
(ब) राजस्व व्यय मे ब्याज भुगतान व्यय शामिल है।

यह देखा गया किः

i. 2023–24 के लिए राजस्व प्राप्तियों का बजट अनुमान 2022–23 के वास्तविक से 22.95 प्रतिशत अधिक था। इस बीच, बिहार सरकार ने अपने संशोधित अनुमान में राजस्व प्राप्तियों (₹ 2,14,494.26 करोड़) को मूल अनुमान का 1.02 प्रतिशत तक बढ़ा दिया। हालाँकि, वास्तविक प्राप्तियाँ मूल अनुमान से 8.94 प्रतिशत और संशोधित अनुमान से 9.86 प्रतिशत कम थीं, जबकि राजस्व प्राप्तियों में संघीय करो का अंश (58.76 प्रतिशत) का प्रमुख योगदान था।

ii. विगत वर्ष की तुलना में राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 11.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राजस्व प्राप्तियों के संग्रह में सी0जी0एस0टी0 (27.75 प्रतिशत), एस0जी0एस0टी0 (19.08 प्रतिशत), निगम कर (6.49 प्रतिशत), निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर (25.97 प्रतिशत), आय और व्यय पर अन्य कर (14.99 प्रतिशत), केंद्रीय करों के हिस्से के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क (27.89 प्रतिशत) में वृद्धि देखी गई। इसके अलावा, स्व–कर राजस्व के तहत भू–राजस्व (60.91 प्रतिशत) और वाहन पर करों (14.39 प्रतिशत) में वृद्धि हुई थी। इसके अलावा ब्याज प्राप्तियों के तहत अन्य प्राप्तियों (73.16 प्रतिशत), लोक सेवा आयोग (353.08 प्रतिशत), विविध सामान्य सेवा के तहत गारंटी शुल्क का ₹ 36.05 करोड़, अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग (14.11 प्रतिशत) राज्य के गैर–कर राजस्व के तहत प्रमुख घटक थे जिसके परिणामस्वरूप राज्य की राजस्व प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 20,659.21 करोड़ की वृद्धि हुई।

iii. 2023–24 के दौरान, राज्य के राजस्व व्यय में 3.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि इसकी राजस्व प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में 11.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप राज्य ने 2018–19 के बाद ₹ 2,833.06 करोड़ का राजस्व आधिक्य दर्ज किया। प्राप्तियों और व्यय का प्रवृत्ति विश्लेषण **तालिका 1.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3: प्राप्तियों और व्यय का प्रवृत्ति विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व		राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय का प्रतिशत	पूँजीगत		पूँजीगत प्राप्तियों में पूँजीगत व्यय का प्रतिशत
	प्राप्तियाँ	व्यय		प्राप्तियाँ	व्यय	
2019–20	1,24,233	1,26,017	101.44	29,175	12,304	42.17
2020–21	1,28,168	1,39,493	108.84	36,736	18,209	49.57
2021–22	1,58,798	1,59,220	100.27	40,473	23,678	58.50
2022–23	1,72,688	1,83,976	106.54	48,325	31,520	65.22
2023–24	1,93,347	1,90,514	98.53	60,314	36,453	60.44

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 1.3 से यह देखा जा सकता है किः

i. राजस्व के रूप में प्राप्त प्रत्येक ₹ 100 के विरूद्ध ₹ 98.53 राजस्व व्यय के रूप में व्यय किया गया था।

ii. वर्ष 2023–24 के दौरान, पूँजीगत व्यय में 15.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि राजस्व व्यय में विगत वर्ष की तुलना में 3.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2023–24 में, पूँजीगत प्राप्तियों का 60.44 प्रतिशत पूँजीगत व्यय के लिए उपयोग किया गया था। साथ ही, पूँजीगत व्यय और पूँजीगत प्राप्तियों का अनुपात 2022–23 के 65.22 प्रतिशत से घटकर चालू वर्ष के दौरान 60.44 प्रतिशत हो गया।

iii. पूँजीगत प्राप्तियों में 24.81 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पूँजीगत व्यय में विगत वर्ष की तुलना में 15.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पूँजीगत प्राप्तियों का एक बड़ा हिस्सा सरकार के पूर्व से लिए गए ऋण को चुकाने के लिए उपयोग किया गया था, जो 2022–23 में 29.72 प्रतिशत से बढ़कर 2023–24 में 38.16 प्रतिशत हो गया।

iv. वर्ष 2023–24 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय और पूँजीगत व्यय में वृद्धि की धीमी गति ने राज्य को राजस्व आधिक्य बनाने में मदद की और अंततः राजकोषीय घाटे को उस सीमा तक कम करने में मदद की।

1.3.2 सरकार की परिसंपत्तियों और देनदारियों का संक्षिप्त परिदृश्य

सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देनदारियों और किए गए व्यय से बनाई गई परिसंपत्तियों को समाहित करते हैं। ***परिशिष्ट 1.2*** विगत वर्ष की इसी स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2024 तक ऐसी देनदारियों और परिसंपत्तियों का सार दर्शाता है। देनदारियों में मुख्य रूप से आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखे से प्राप्तियाँ और आरक्षित निधियाँ शामिल हैं। परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से पूँजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम तथा नकद शेष शामिल हैं। सरकार की परिसंपत्तियों और देनदारियों की संक्षिप्त स्थिति **तालिका 1.4** में दी गई है।

तालिका 1.4: परिसंपत्तियों और देनदारियों का संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

nunkfj;k					ifjlaifÙk;k				
		2022-23	2023-24	çfr'kr of)@deh			2022-23	2023-24	çfr'kr of)@deh
lefdr fufèk									
क	आंतरिक ऋण	2,08,098.10	2,36,205.16	13.51	क	सकल पूँजीगत व्यय	2,90,886.03	3,27,339.05	12.53
ख	भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	34,747.63	43,878.73	26.28	ख	ऋण और अग्रिम	25,209.64	27,249.57	8.09
vkdfLedrk fufèk		350-00	350-00						
ykd y[kk									
क	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	9,396.88	9,141.12	–2.72	क	अग्रिम	249.96	249.96	0.00
ख	जमा	38,437.96	39,666.57	3.20	ख	धन–प्रेषण	1,125.96	1,128.33	0.21
ग	आरक्षित निधि	9,654.72	12,343.98	27.85	ग	उचंत तथा विविध	14,416.78	5,611.89	–61.07
घ	उचंत तथा विविध शेष	171.31	206.63	20.62	रोकड शेष (निर्धारित निधियों में निवेश सहित)		22,903.95	36,982.18	61.47
च	अंतर्राज्यीय समाशोधन	74.01	74.01	0.00					
छ	सरकारी लेखा पर आधिक्य	53,861.71	56,694.77	5.26					
dqy		3]54]792-32	3]98]560-98	12-34	dqy		3]54]792-32	3]98]560-98	12-34

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

वर्ष 2023–24 के दौरान, राज्य की देनदारियों में विगत वर्ष की तुलना में 12.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2023–24 के दौरान, आंतरिक ऋण ने कुल बकाया देनदारियों में 59.26 प्रतिशत का योगदान दिया। आंतरिक ऋण के तहत शुद्ध देनदारियों में विगत वर्ष की तुलना में 13.51 प्रतिशत (₹ 28,107.06 करोड़) की वृद्धि हुई।

1.4 राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति

जब कोई सरकार राजस्व से अधिक राशि खर्च करती है, तो उसे घाटा होता है। ऐसे कई उपाय हैं जो सरकारी घाटे को नियंत्रित करते हैं।

घाटे को उधार लेकर पूरा किया जाता है जिससे सरकारी ऋण बढता है। घाटे और ऋण की अवधारणाएँ दोनों निकट रूप से संबंधित हैं। घाटे को एक प्रवाह के रूप में माना जा सकता है जो ऋण में वृद्धि करता है। यदि सरकार साल–दर–साल उधार लेना जारी रखती है तो इससे ऋण का संचय होता है और सरकार को ब्याज के रूप में अधिक से अधिक भुगतान करना पड़ता है। ये ब्याज भुगतान स्वयं ऋण में योगदान करते हैं।

बिहार सरकार द्वारा बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम, 2006 पारित किया गया है, जिसका उद्देश्य राजकोषीय प्रबंधन में बुद्धिमता सुनिश्चित कर राजस्व घाटे को समाप्त करना, राजकोषीय घाटे और समग्र/बकाया ऋण को स्वीकार्य स्तर तक कम करना, बेहतर ऋण प्रबंधन स्थापित करना तथा मध्यावधि की रूपरेखा में पारदर्शिता लाना है। इस संदर्भ में यह अधिनियम घाटे और ऋण स्तर के संबंध में राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले परिमाणात्मक लक्ष्य को निर्धारित करता है।

1.4.1 प्रमुख राजकोषीय मापदंडों और उपलब्धियों पर बी0एफ0आर0बी0एम0 लक्ष्य

पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राज्य को 2023–24 के लिए जी0एस0डी0पी0 अनुपात में ऋण को 40.40 प्रतिशत तक बनाए रखना था। वित्त आयोग ने 2023–24 के दौरान जी0एस0डी0पी0 के तीन प्रतिशत के अतिरिक्त 0.5 प्रतिशत का अतिरिक्त उधार (3.5 प्रतिशत तक) लेने की अनुमति दी, जो ऊर्जा क्षेत्र के सुधारों की शर्तों के अधीन है।

राज्य सरकार ने बी0एफ0आर0बी0एम0 (संशोधन) अधिनियम, 2022 के माध्यम से पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राजकोषीय लक्ष्यों को संशोधित किया। इस संशोधन के माध्यम से, वर्ष 2023–24 के लिए राजकोषीय घाटे की लक्ष्य सीमा को जी0एस0डी0पी0 के 3.5 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया था, जिसमें जी0एस0डी0पी0 का 0.5 प्रतिशत का अतिरिक्त उधार भी शामिल था, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्त के अधीन था। बी0एफ0आर0बी0एम0 (संशोधन) अधिनियम, 2022 के तहत निर्धारित प्रमुख राजकोषीय मापदंडों का अनुपालन **तालिका 1.5 (क)** में दिखाया गया है।

तालिका 1.5 (क): बी0एफ0आर0बी0एम0 (संशोधन) अधिनियम, 2022 के प्रावधानों का अनुपालन

राजकोषीय मापदंड	बी0एफ0आर0बी0एम0 में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य	उपलब्धि (₹ करोड़ में)				
		2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
राजस्व घाटा (–)/ आधिक्य (+) (₹ करोड़ में)	राजस्व आधिक्य	–1,784.13	–11,325.11	–422.38	–11,288.20	2,833.06
		✗	✗	✗	✗	✓
राजकोषीय घाटा (–) आधिक्य (+) (जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशतता के रूप में)	के अधीन 2019–20 के लिए 3.50 प्रतिशत, 2020–21 के लिए 5.00 प्रतिशत, 2021–22 के लिए 4.50# प्रतिशत, 2022–23 के लिए 4.00 प्रतिशत एवं 2023–24 के लिए 3.50 प्रतिशत	–14,723.93 (2.53)	–29,827.25 (5.25)	–25,551.26 (3.95)	–44,823.30 (6.01)	–35,659.88 (4.17)
		✓	✗	✓	✗	✗
कुल बकाया देनदारियों का जी0एस0डी0पी0 से अनुपात (प्रतिशत में)	के अधीन 2019–20 के लिए 25.00 प्रतिशत, 2020–21 के लिए 40.20 प्रतिशत, 2021–22 के लिए 40.20 प्रतिशत, 2022–23 के लिए 40.80 प्रतिशत एवं 2023–24 के लिए 40.40 प्रतिशत	33.24	40.01	39.78	39.30	38.94
		✗	✓	✓	✓	✓

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम)

 # भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों और शर्तों के साथ ऊर्जा क्षेत्र के लिए 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त उधार लेने सहित

बी0एफ0आर0बी0एम0 (संशोधन) अधिनियम के माध्यम से संशोधित राजकोषीय रोडमैप पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के समान था।

तालिका 1.5 (क) से देखा जा सकता है कि:

i चालू वर्ष के दौरान, राज्य में ₹ 2,833.06 करोड़ का राजस्व आधिक्य देखा गया। राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि की तुलना में राजस्व व्यय में कम वृद्धि ने राज्य को राजस्व आधिक्य सृजित करने में सक्षम बनाया।

ii कमी दर्ज होने के बावजूद, राज्य का राजकोषीय घाटा बी0एफ0आर0बी0एम0 और पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सांकेतिक घाटे से ऊपर रहा।

iii बकाया देनदारियों का जी0एस0डी0पी0 से अनुपात, वर्ष 2019–20 को छोड़कर पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के भीतर था।

पन्द्रहवें वित्त आयोग 2023–24 के दौरान जी0एस0डी0पी0 के संदर्भ में राज्य के बजट में अनुमानित राजकोषीय लक्ष्य और प्रमुख राजकोषीय संग्रह के संबंध में उनकी उपलब्धियाँ **तालिका 1.5 (ख)** में दी गई है।

तालिका 1.5 (ख): वर्ष 2023–24 के लिए प्रमुख राजकोषीय संग्रह के संबंध में लक्ष्य और उपलब्धियाँ

(प्रतिशत में)

राजकोषीय चर	पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य	बजट में लक्ष्य	वास्तविकी	वास्तविक से भिन्नता	
				पन्द्रहवें वित्त आयोग के लक्ष्य	बजट में लक्ष्य से
राजस्व आधिक्य/जी0एस0डी0पी0	1.20	0.52	0.33	0.87	0.19
राजकोषीय घाटा/जी0एस0डी0पी0	3.5#	2.98	4.17	(–) 0.67	(–) 1.19
कुल बकाया देयता/जी0एस0डी0पी0	40.40	37.81	38.94	1.46	(–) 1.13

(स्रोतः पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशें, वर्ष 2023–24 का बजट दस्तावेज और वित्त लेखा)
नोटः घाटे के आँकड़ें माइनस में दिखाए गए हैं; #0.5 प्रतिशत अतिरिक्त उधार सहित

हालांकि 2023–24 में राजस्व आधिक्य दर्ज किया गया था, लेकिन राज्य पन्द्रहवे वित्त आयोग द्वारा निर्धारित राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका। यद्यपि कुल बकाया देयता–जी0एस0डी0पी0 अनुपात वित्त आयोग द्वारा निर्धारित स्तरों के भीतर था, लेकिन यह राज्य के 37.81 प्रतिशत के बजट लक्ष्य को हासिल नहीं कर सका।

वित्त लेखों के अनुसार जी0एस0डी0पी0 की तुलना में कुल बकाया देनदारियों का अनुपात 38.94 प्रतिशत है। तथापि, ₹ 53.48 करोड़ के गैर–बजट उधारों को शामिल करने के बाद प्रभावी अनुपात (38.95 प्रतिशत) लेखापरीक्षा द्वारा तय किया गया है **(तालिका 1.8)**। यह अभी भी वित्त आयोग के 40.40 प्रतिशत के लक्ष्य से नीचे है।

1.4.2 मध्यावधि राजकोषीय योजना

राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत मध्यावधि राजकोषीय योजना (एम0टी0एफ0पी0) में अनुमानित राजकोषीय मापदंडों के लक्ष्यों की तुलना, वर्त्तमान वर्ष के लिए संबंधित वास्तविकी के साथ, नीचे **तालिका 1.6** में दी गई है:

तालिका 1.6: 2023–24 के लिए एम0टी0एफ0पी0 में वास्तविक बनाम प्रक्षेपण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	राजकोषीय चर	एम0टी0एफ0पी0 के अनुसार अनुमान	वास्तविकी (2023–24)	परिवर्त्तन (प्रतिशत में)
1	स्व–कर राजस्व	49,700.05	48,360.69	(–) 2.69
2	गैर–कर राजस्व	6,511.74	5,257.05	(–) 19.27
3	संघीय करों का अंश	1,02,737.26	1,13,604.49	10.58
4	भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	53,377.92	26,125.00	(–) 51.06
5	**राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)**	**2,12,326.97**	**1,93,347.23**	**(–) 8.94**
6	राजस्व व्यय	2,07,848.00	1,90,514.17	(–) 8.34
7	**राजस्व घाटा (–)/अधिशेष (+) (5–6)**	**4,478.97**	**2,833.06**	**(–) 36.75**
8	राजकोषीय घाटा (–)/अधिशेष (+)	(–) 25,567.83	(–) 35,659.88	39.47
9	जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा	2.98	4.17	(–) 1.19
10	देयता–जी0एस0डी0पी0 अनुपात (प्रतिशत)	37.81	38.94	(–) 1.13
11	मौजूदा कीमतों पर जी0एस0डी0पी0 वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.24	14.47	(–) 0.77

(स्रोतः वर्ष 2023–24 के लिए वित्त लेखे और बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम)

तालिका 1.6 से देखा जा सकता है किः

चालू वर्ष के दौरान, राज्य में ₹ 2,833 करोड़ का राजस्व अधिशेष देखा गया। एम0टी0एफ0पी0 लक्ष्यों में संघीय करों के अंश को छोड़कर प्राप्त नहीं किया जा सका, जिसमें अनुमानित आँकड़ों से 10.58 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राजस्व अधिशेष का मुख्य कारण भारत सरकार से राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत अंतरणों में वृद्धि के साथ–साथ विगत वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में कम वृद्धि

थी। राज्य सरकार विगत वर्षों (2019–20, 2020–21, 2021–22 और 2022–23) में भी अधिकांश राजकोषीय चर में अपने एम0टी0एफ0पी0 लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी।

1.4.3 अधिशेष/घाटे की प्रवृत्ति

तीन मुख्य राजकोषीय मानदण्डों अर्थात् (i) राजस्व अधिशेष/घाटा (ii) राजकोषीय घाटा और (iii) प्राथमिक घाटा, सरकार की राजकोषीय स्थिति का आकलन करने में मदद करता है। ये घाटें सरकार की राजकोषीय स्थिति का आकलन करने में सहायता करने के लिए तैयार की जाती हैं। राजकोषीय मापदंडो की प्रवृति को **चार्ट 1.6** में दिखाई गई हैं।

चार्ट 1.6: घाटे के मानकों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

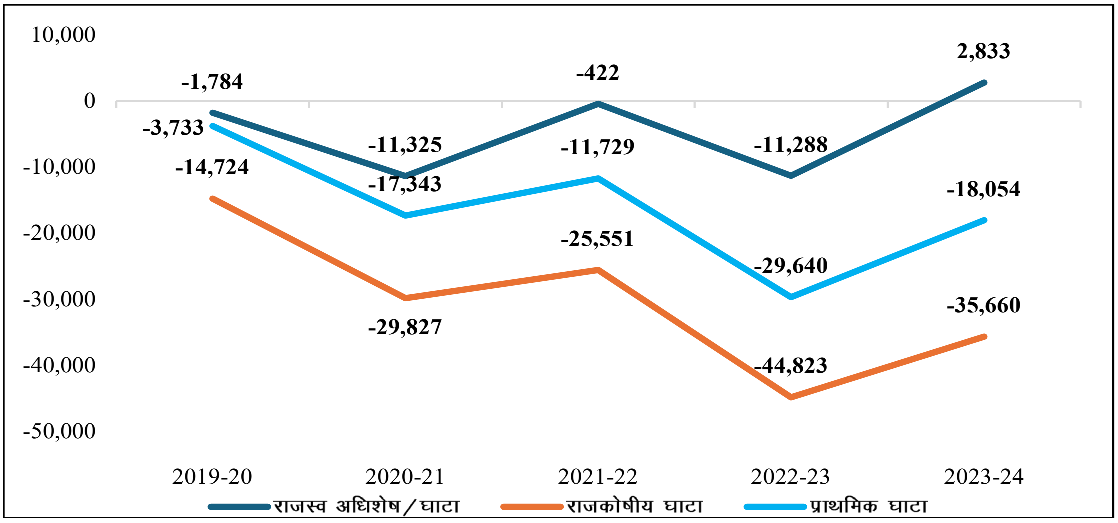

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

जैसा कि **चार्ट 1.6** से देखा जा सकता है, राजस्व आधिक्य को छोड़कर सभी राजकोषीय संकेतक/मापदंड नकारात्मक प्रवृत्ति दिखाते हैं। इसके अतिरिक्त, राजकोषीय घाटे और प्राथमिक घाटा ऋणात्मक होने के बावजूद दोनों ने विगत वर्ष की तुलना में सुधार दर्शाया है।

जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष घाटे के मापदंडों में प्रवृत्ति **चार्ट 1.7** में देखी जा सकती है।

चार्ट 1.7: जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष अधिशेष/घाटे की प्रवृत्ति

(प्रतिशत में)

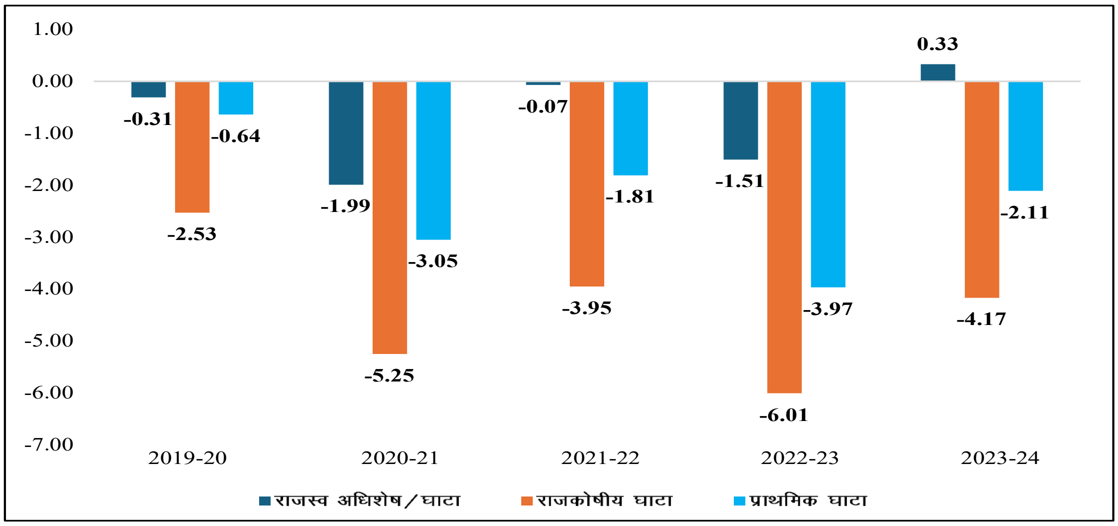

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और एम0ओ0एस0पी0आई0)

जैसा कि **चार्ट 1.7** से देखा जा सकता है, विगत पांच वर्षों के दौरान, सभी तीन मापदंडों ने 2023–24 में राजस्व अधिशेष को छोड़कर जी0एस0डी0पी0 के संबंध में नकारात्मक प्रवृति को दिखाया है।

1.4.4 वित्तीय देनदारियाँ और जी0एस0डी0पी0

राजकोषीय घाटे को आमतौर पर राज्य द्वारा उधार के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है जिससे सरकारी ऋण बढ़ जाता है। यदि सरकार वर्ष–दर–वर्ष उधार लेना जारी रखेगी तो इससे ऋण का संचय हो जाएगा। सरकारी ऋण मुख्य रूप से आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, अर्थोपाय अग्रिम आदि), भारत सरकार से ऋण और अग्रिम और लोक लेखा पर प्राप्तियों (लघु बचत, भविष्य निधि, आदि) से बना है।

चार्ट 1.8 राजकोषीय देनदारियों के घटक और जी0एस0डी0पी0 में प्रवृति को दर्शाता है।

चार्ट 1.8: वित्तीय देनदारियों और जी0एस0डी0पी0 में प्रवृत्ति

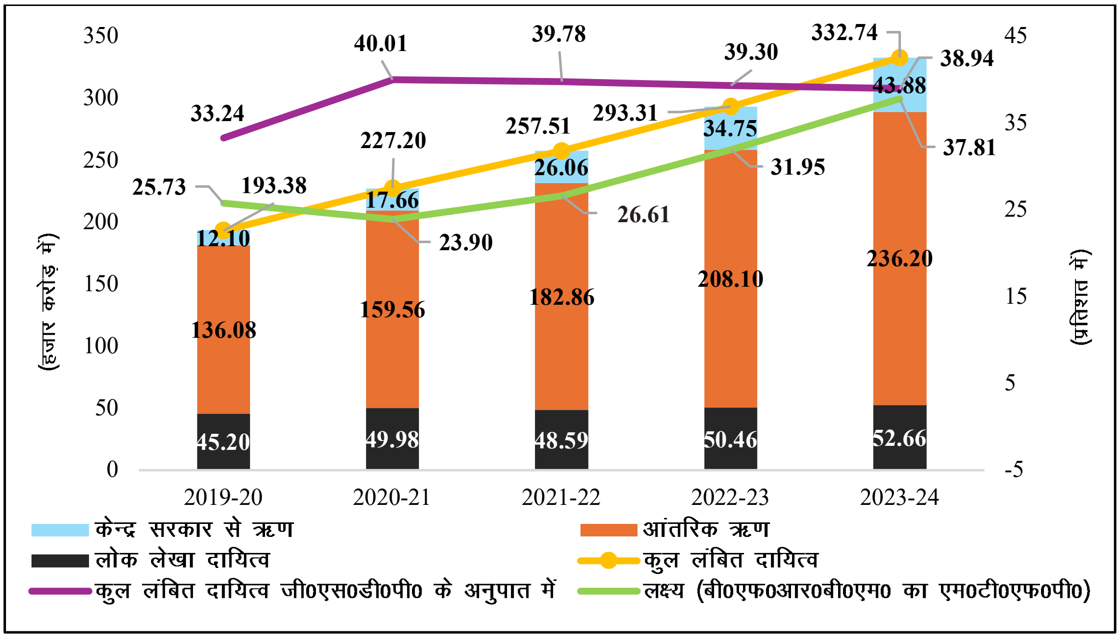

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2023–24 के दौरान, आंतरिक ऋण में 13.51 प्रतिशत (₹ 28,107.05 करोड़) की वृद्धि और भारत सरकार से ऋण और अग्रिम में 26.28 प्रतिशत (₹ 9,131.11 करोड़) की वृद्धि के कारण विगत वर्ष की तुलना में राजकोषीय देनदारियों में 13.44 प्रतिशत (₹ 39,433.73 करोड़) की वृद्धि हुई। कुल मिलाकर वर्ष 2019–20 से राजकोषीय देनदारी में 72.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य के अपने राजस्व के स्रोतों/नए स्रोतों का पता लगाकर देयता वहन करने की इस स्थिति पर काबू पाया जा सकता है।

1.4.5 भारत सरकार द्वारा निर्धारित उधार की सीमा के सापेक्ष राज्य सरकार का प्रदर्शन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(3) में, अन्य बातों के साथ–साथ, यह प्रावधान है, कि कोई राज्य भारत सरकार की सहमति के बिना कोई ऋण नहीं ले सकता है ''यदि राज्य को केंद्र सरकार द्वारा दिया गया ऋण का कोई हिस्सा/या गारंटी अभी भी बकाया है''।

हालाँकि, बिहार में, बी0एफ0आर0बी0एम0 (संशोधन) अधिनियम, 2022 में और पन्द्रहवें वित्त आयोग के अनुसार तैयार जी0एस0डी0पी0 अनुपात की कुल बकाया देनदारियाँ 40.40 प्रतिशत थीं।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये राज्य की शुद्ध उधार सीमा (एन0बी0सी0) जी0एस0डी0पी0 का 3.0 प्रतिशत (एम0ओ0एस0पी0आई0 द्वारा प्रकाशित जी0एस0डी0पी0 के आँकड़े और पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित पद्धति के आधार पर) निर्धारित की गई थी। 3.0 प्रतिशत के एन0बी0सी0 के अलावा, राज्य जी0एस0डी0पी0 के 0.50 प्रतिशत के अतिरिक्त उधार के लिए भी पात्र था, जो ऊर्जा क्षेत्र में अपने प्रदर्शन से जुड़ा था। इस प्रकार, राज्य की उधार सीमा ₹ 30,062.48 करोड़ (राज्य के अनुमानित जी0एस0डी0पी0 का 3.5 प्रतिशत) के भीतर होनी थी, जिसमें ₹ 4,294.64 करोड़ (अनुमानित जी0एस0डी0पी0 का 0.5 प्रतिशत) की अतिरिक्त सीमा शामिल थी।

हालाँकि, वित्त लेखे 2023–24 के **विवरण 6** के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान राज्य सरकार की उधार और अन्य देनदारियों का विवरण, वृद्धिशील उधार और अन्य देनदारियाँ ₹ 39,433.73 करोड़ (जी0एस0डी0पी0 का 4.62 प्रतिशत) थीं, जो कि ₹ 30,062.48 करोड़ (₹ 8,58,928 करोड़ के अनुमानित जी0एस0डी0पी0 का 3.5 प्रतिशत) की उधार सीमा से अधिक थी। राज्य ने 38.94 प्रतिशत (बकाया कुल देयता 2023–24/जी0एस0डी0पी0 2023–24) हासिल किया, जो पन्द्रहवें वित्त आयोग सीमा के भीतर था।

1.5 लेखापरीक्षा द्वारा जाँच के बाद घाटे/बकाया देनदारियाँ

राजस्व अनुभाग के कुछ वित्तीय लेनदेन को व्यय के पूँजीगत अनुभाग के तहत या इसके विपरीत गलत तरीके से दर्ज किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व और पूँजीगत लेखा शीर्षों के बीच व्यय का गलत वर्गीकरण हुआ है। निम्नलिखित खण्ड ऐसे चिन्हित वित्तीय संव्यवहार का वर्णन करता है।

1.5.1 लेखापरीक्षा के बाद–घाटा

राजस्व व्यय का पूँजीगत व्यय के रूप में और इसके विपरीत गलत वर्गीकरण घाटे के आंकड़ों को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त, प्रतिबद्ध देयताओं के स्थगन अर्थात् समेकित निधि में उपकर/रॉयल्टी जमा न करना, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अल्प अंशदान, निक्षेप और मोचन निधि आदि, भी राजस्व और राजकोषीय घाटे के आँकड़ों को प्रभावित करते हैं। ऐसी अनियमितताओं का प्रभाव **तालिका 1.7** में देखा जा सकता है।

तालिका 1.7: लेखापरीक्षा द्वारा जांच के बाद राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटा

विवरणी	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव (कम बताया गया (+)/ अधिक बताया गया (–)) (₹ करोड़ में)	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव (कम बताया गया (+)/ अधिक बताया गया (–)) (₹ करोड़ में)	कंडिका संदर्भ
राजस्व के बजाय पूँजी अनुभाग के तहत व्यय की बुकिंग के कारण गलत वर्गीकरण	22.53	–	2.5.3.5
व्यय को पूँजी के बजाय राजस्व अनुभाग के अंतर्गत बुक करने के कारण गलत वर्गीकरण	(–) 0.21	–	2.5.3.5
राज्य वर्गीकरण प्रतिपूर्ति निधि में ब्याज का कम भुगतान	(–) 9.59	9.59	4.2
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि पर ब्याज का कम भुगतान	(–) 99.45	99.45	4.2
राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि पर ब्याज का कम भुगतान	(–) 46.76	46.76	4.2

विवरणी	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव (कम बताया गया (+)/ अधिक बताया गया (–)) (₹ करोड़ में)	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव (कम बताया गया (+)/ अधिक बताया गया (–)) (₹ करोड़ में)	कंडिका संदर्भ
एन0पी0एस0 में नियोक्ता के हिस्से का कम योगदान	(–) 51.11	51.11	2.5.2.3
भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर का अंतरण न होना	(–) 223.78	223.78	2.6.2.5
अन्य उपकरों का गैर–हस्तांतरण (सड़क सुरक्षा उपकर)	(–) 164.35	164.35	2.6.2.5
सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना पर अधिक भुगतान	11.51	(–) 11.51	4.2
एन0एम0ई0टी0 निधि में कम अंतरण	(–) 62.00	62.00	2.6.2.5
भूमि उपकर का गैर–हस्तांतरण	(–) 1.49	1.49	2.6.2.5
गैर बजट उधारी का प्रकटीकरण नही करना	(–) 53.48	53.48	4.1
कुल	**(–) 678.18**	**700.50**	

(स्रोतः वित्त लेखा और लेखापरीक्षा विश्लेषण)

ऊपर दी गई तालिका से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राज्य का राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटा, जो क्रमशः ₹ 2,833.06 करोड़ और ₹ 35,659.88 करोड़ दिखाया गया है, वास्तव में क्रमशः ₹ 2,154.88 करोड़ और ₹ 36,360.38 करोड़ होगा। इस प्रकार, लेखापरीक्षा के बाद राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटा क्रमशः जी0एस0डी0पी0 का 0.25 प्रतिशत और 4.26 प्रतिशत था, जो कि पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित लक्ष्यों से कम था।

1.5.2 लेखापरीक्षा के बाद–कुल बकाया देनदारियाँ

कुल बकाया देनदारियों में आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम और लोक लेखा पर देयताएँ शामिल हैं।

2023–24 के दौरान, सड़क निर्माण विभाग के तहत एक इकाई अर्थात बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड ने ₹ 53.48 करोड़ का गैर–बजट उधार (ओ0बी0बी0) लिया था। सरकार ने इस ऋण के लिए गारंटी प्रदान की है।

चूंकि ये उधारी सीधे सरकार के उधारियों का हिस्सा नहीं थी, इसलिए इसे वित्त लेखे के लोक ऋण में शामिल नहीं किया गया था और इसलिए इन्हें राज्य के राजकोषीय घाटे की गणना में शामिल नहीं किया गया। गैर–बजट उधारी के कारण, लोक ऋण के साथ–साथ राज्य का राजकोषीय घाटा वर्ष 2023–24 के लिए उस सीमा तक कम है। (गैर–बजट उधारी को इस प्रतिवेदन के **कंडिका 4.1** में विस्तृत रूप से दिया गया है।)

देनदारियों की घटकवार प्रवृत्ति **तालिका 1.8** में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.8: देनदारियों की घटकवार प्रवृत्तियों की तुलना

(₹ करोड़ में)

वित्त लेखों के अनुसार उधार और अन्य देनदारियाँ	कुल राशि		प्रतिशत विचलन
	2022–23	2023–24	
आंतरिक ऋण (अ)	**2,08,098.10**	**2,36,205.15**	**13.51**
बाजार ऋण	1,84,275.11	2,14,418.05	16.36
बॉण्ड	1,962.07	1,728.88	(–) 11.88
वित्तीय संस्थान से ऋण	9,776.22	9,861.87	0.88

वित्त लेखों के अनुसार उधार और अन्य देनदारियाँ	कुल राशि		प्रतिशत विचलन
	2022–23	2023–24	
केंद्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ	12,077.26	10,188.90	(–) 15.64
अन्य ऋण	7.45	7.45	0.00
केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम (ब)	**34,747.63**	**43,878.74**	**26.28**
गैर–योजना ऋण	0.58	0.58	0.00
राज्य परियोजना योजना के लिए ऋण	191.29	191.29	0.00
केंद्रीय परियोजना योजनाओं के लिए ऋण	1.01	1.01	0.00
केंद्र प्रायोजित परियोजना के लिए ऋण	0.53	0.53	0.00
अर्थोपाय अग्रिम	42.96	42.96	0.00
1984–85 से पहले के ऋण	3.91	3.91	0.00
केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण	33.10	30.30	(–) 8.46
विधानमंडल योजनाओं के साथ राज्यों/केंन्द्रशासित प्रदेशों के लिए अन्य ऋण	34,474.25	43,608.16	26.49
लोक लेखा पर देनदारियाँ (स)	**50,461.44**	**52,657.01**	**4.35**
लघु बचत, भविष्य निधि आदि।	9,396.88	9,141.12	(–) 2.72
ब्याज सहित आरक्षित निधि	2,626.60	3,849.32	46.55
ब्याज सहित जमाराशियाँ	257.63	9.72	(–) 96.23
ब्याज रहित जमाराशियाँ	38,180.33	39,656.85	3.87
कुल (द)=(अ+ब+स)	**2,93,307.17**	**3,32,740.90**	**13.44**
समग्र दायित्व पर प्रभाव (कम करके बताया गया) (ई)	**686.77**	**53.48**	.
बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड (पथ निर्माण विभाग)	686.77	53.48	
कुल (ई)	**686.77**	**53.48**	**(–) 92.21**
कुल योग (द)+(ई)	**2,93,993.94**	**3,32,794.38**	

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

₹ 53.48 करोड़ के गैर–बजट उधारी के कारण राज्य की निवल उधार सीमा (एन0बी0सी0) को दरकिनार करने का भी प्रभाव पड़ेगा। ऐसे उधार का राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटे जैसे महत्वपूर्ण राजकोषीय संकेतकों पर प्रभाव पड़ेगा।

राज्य के गैर–बजट उधारी को ध्यान में रखते हुए, मार्च 2024 के अंत में कुल बकाया देनदारियाँ ₹ 3,32,740.90 करोड़ के मुकाबले ₹ 3,32,794.38 करोड़ हो गईं, जो जी0एस0डी0पी0 का 38.95 प्रतिशत था। इसके कारण, जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशत के रूप में कुल बकाया देनदारियों को 0.01 प्रतिशत अंक कम बताया गया था।